

औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र
 बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन
 बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (च)(iii) के अन्तर्गत
निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना का कार्यालय।

प्रेषक,

सेवा में,

निदेशक,
 राज्य अग्निशमन सेवा,
 बिहार, पटना ।

श्रीमति उषा सिन्हा,
 पति-कौशल किशोर प्र० सिन्हा एवं अन्य
 मौजा-धनौत, पटना।

संदर्भ :- क्रमांक..2.6.1.9..... दिनांक..29.1.21....

आवेदनकर्ता मे० अभियंता सत्येन्द्र प्र० सिंह (विशिष्ट आई.डी.नं० ER/03/2016)

विषय :- भवन निर्माण के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत ।

महाशय,

राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के द्वारा गठित अग्नि सुरक्षा एवं निवारण स्कंध (FSPW) की संतुष्टि के उपरान्त व उक्त समिति में शामिल विशेषज्ञों की अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माणकर्ता मे० उषा सिन्हा एवं अन्य के द्वारा प्रस्तावित भवन/ब्लॉक का निर्माण हेतु बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (च) (iii) के अंतर्गत औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ।

प्रस्तावित भवन योजना से संबंधित भवन का नाम श्रीमति उषा सिन्हा, पति-श्री कौशल किशोर प्रसाद सिन्हा एवं अन्य, प्लॉट नं०-240, खाता नं०-12, थाना नं०-20, थाना-दानापुर, मौजा-धनौत, जिला-पटना अधिभोग आवासीय उप श्रेणी भवन की ऊँचाई 14.95 (मीटर में) फर्श क्षेत्र 3659.75 वर्गमीटर, भवन के तलों की संख्या 4, तलघर की संख्या शून्य, स्लिट/भूतल की संख्या 1, भवन के ब्लॉक की संख्या 1, प्रत्येक मंजिल का औसत अधिभोग भार 48, लिफ्ट की संख्या, फायर लिफ्ट की संख्या 2, रैम्प की संख्या शून्य, आपातकालीन शरण स्थल (रिफ्यूजी एरिया) की संख्या शून्य, फायर टावर की संख्या शून्य है। राष्ट्रीय भवन संहिता के दिशा-निर्देश, स्थानीय भवन नियमावली एवं स्थानीय परिस्थिति के आधार पर निम्नलिखित सलाह/अनुशंसा के साथ भवन निर्माण योजना की स्वीकृति दी जाती है, जिसका अनुपालन संबंधित वास्तुविद/भवन निर्माणकर्ता/भू-स्वामी के द्वारा किया जाएगा।

भवन योजना पर प्रतिहस्ताक्षर के बाद आपके अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाता है :-

(1) भवन निर्माणकर्ता द्वारा भवन के लिए खुली जगह (मीटर) (उत्तर 6.0-6.55 मी०, दक्षिण 3 मी०, पूर्व 3 मी०, पश्चिम 4.66-4.91 मी०) एवं पलायन के साधन (आंतरिक सीढ़ियों की संख्या 2, चौड़ाई 3.5 (मीटर)/बाह्य सीढ़ियों की संख्या 2, चौड़ाई 3.5 (मीटर) प्रस्तावित किया गया है ।

(2) **खुला स्थान एवं पहुँच-**

(क) भवन के चारों तरफ तत्समय प्रवृत्त भवन उपविधि एवं अन्य तत्संबंधी अधिनियम/नियम/विनियमन/स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खुला स्थान होगा एवं अग्निशमन दस्ते के पहुँच एवं घुमाने के लिए न्यूनतम 3.60 मीटर जगह (भवन श्रेणी एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय) छोड़ा जाना चाहिए ।

(ख) भवन का पहुँच पथ मजबूत एवं चौड़ी हो जो 20 मिट्रिक टन अग्निशामक वाहन का भार आसानी से सहन कर सके।

(ग) भवन के प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.5 मीटर एवं ऊँचाई 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(3) **बनावट :-**

(क) प्रस्तावित भवन का पूरा निर्माण अनुमोदित योजना के अनुसार बिहार भवन उपविधि, 2014 समय-समय पर यथा संशोधित तथा स्थानीय नगर निकाय के भवन संबंधी नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

(ख) भवन का फर्श क्षेत्र 750 वर्गमीटर से अधिक होने की स्थिति में अलग-अलग दिवारों से उचित रूप से छत तक बाँटा जाएगा, जिसमें कम से कम दो घंटे तक अग्नि प्रतिरोधक क्षमता होगा ।

(ग) भवन की आंतरिक सजावट अग्नि फैलाव निरोधक सामग्री से बना हुआ आई0एस0 गुण स्तर का होगा।

(घ) भवन के केन्द्रीय कोर डक्ट का बतवूद के पास वेन्टीलेशन का प्रावधान होगा। सभी उर्ध्व डक्ट का सीढ़ी पर्याप्त अग्नि निरोधक क्षमता के सामग्री से करने का व्यवस्था करना होगा।

(4) सीढ़ी :-

(क) भवन का सीढ़ी बंद प्रकार का होगा। पूरे भवन निर्माण कार्य ईट/आर.सी.सी. से न्यूनतम 04 घंटे के अग्नि प्रतिरोधक क्षमता का होगा।

(ख) भवन का सीढ़ी के उपरी भाग में स्थायी भेंट होगा जो सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन एरिया का 05 प्रतिशत होगा। साथ ही सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का 15 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर प्रत्येक मंजिल के स्तर पर खुलने योग्य Sashes होगा। यह भवन के बाहरी दीवार पर प्रदान किया जाएगा।

(ग) भवन के सभी सीढ़ियों का निर्माण कमरे से अलग होगा एवं किसी भी कमरे में प्रवेश किये बिना हर मंजिल पर एक दूसरे से परगम्य होगा, जिसे संबंधित छत के लेवल तक बढ़ाया जाएगा। सीढ़ी वाली दीवाल की छत आस-पास की छत के क्षेत्र से 1 मीटर ऊपर होगी।

(घ) विभिन्न श्रेणी के भवनों में सीढ़ी की चौड़ाई तथा कोरिडोर एवं यात्रा दूरी संबंधित भवन नियमों के अनुसार होगा।

(ङ) दो सीढ़ी के मामले में एक सीढ़ी बाहरी दीवाल से होनी चाहिए।

(च) तलघर तक पहुँच के लिए दोनों सीढ़ी तलघर मंजिल तक नहीं जाना चाहिए। पहुँच के लिए एक अलग सीढ़ी होगा।

(5) अग्नि सुरक्षा प्रणाली :- राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा उपायों के प्रावधान के साथ अनुमोदित भवन योजना अग्रसारित किया जाता है:-

- (क) होज रील
- (ख) वेट राईजर-सह-डाउन कमर सिस्टम (शून्य अदद)
- (ग) यार्ड हाईड्रेंट सिस्टम
- (घ) हस्तचालित विद्युत अग्नि एलार्म सिस्टम
- (ङ) पूरे भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम
- (च) स्प्रिंकलर सिस्टम (आवश्यकतानुसार)
- (छ) भूतल स्टैटिक टैंक की क्षमता 50000 लीटर
- (ज) ओभर हेड वाटर टैंक 10000 लीटर क्षमता
- (झ) एक पम्प हाउस एल.पी.एम. इलेक्ट्रीक एवं डीजल, ... एल.पी.एम. जॉकी पम्प, ... एल.पी.एम. बूस्टर पम्प
- (ञ) फायर एक्सटीग्यूसर

(6) संबंधित अधिनियम/नियम/विनियमन जैसे- बिहार भवन उपविधि, 2014, समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित बहुमंजिली भवन निर्माण विनियम, 1981, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 में संबंधित अधिभोग के लिए वांछित अन्य शर्तों का पालन किया जाएगा। कुछ शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

(क) लिफ्ट :-

(i) भवन का लिफ्ट की दीवार न्यूनतम 02 घंटे का अग्नि निरोधक क्षमता का होगा।

(ii) भवन का लिफ्ट उच्च गति "फायर लिफ्ट" पर डिजाइन की जाएगी और योजना में स्पष्ट रूप से चिन्हित होगा।

(iii) सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में, स्वचालित वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अपार्टमेंट भवनों के लिए विद्युत आपूर्ति में परिवर्तन हेतु हस्ताचालित परिवर्तनीय स्वीच के माध्यम से यह व्यवस्था

किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से लिफ्ट इस तरह से वायर्ड होगा कि बिजली की विफलता की स्थिति में भी यह जमीन स्तर तक आयेगा एवं दरवाजा आसानी से खुल सकेगा।

(iv) आग लगने की स्थिति में प्रति घंटा 30 बार हवा परिवर्तन करने हेतु स्मोक वेटिंग सिस्टम का समावेश सभी लिफ्ट सॉफ्ट में कर धुँआ निकासी हेतु व्यवस्था की जाएगी। यह इस प्रकार का डिजाइन किया जाएगा कि स्प्रिंकलर एवं फायर एलार्म क्रियाशील हो सके। सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में यह स्वचालित रूप से वैकल्पिक आपूर्ति के लिए कार्य करेगा।

(v) अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ लिफ्ट का संचार व्यवस्था बनाये रखने सहित अन्य सभी आवश्यकताएँ आई0 एस0 गुण स्तर के अनुरूप करना होगा, जिसमें भवन के लिफ्ट कार, अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जिससे संचार व्यवस्था बनी रहे।

(vi) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित से संबंधित प्रावधानों का पालन करते हुए फायर लिफ्ट होना चाहिए जैसे 1200 वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र के लिए एक फायर लिफ्ट होना चाहिए।

(ख) भवन में सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसे प्रत्येक मंजिल पर लैण्डिंग भल्व के साथ डाउन कमर सिस्टम एवं होज रील, छत स्तर पर 900 एल0पी0एम0 पम्प के साथ होगा। आई0 एस0 2190/1992 तथा संबंधित विशिष्टियों का आई0एस0आई0 मार्कड अग्निशमन यंत्र, फायर चेक दरवाजा, हस्तचालित कॉल अलार्म प्वाइन्ट, अग्नि सुरक्षा चमकीला संकेत एवं भवन निर्माण संहिता के अनुसार अन्य अग्नि निरोध उपाय किये जायेंगे।

(ग) तलघर में स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए एवं दो अलग-अलग निकास द्वार होना चाहिए।

(घ) भूतल जल स्टैटिक टैंक (20,000 लीटर से कम क्षमता का नहीं) स्वचालित रिफिलिंग की व्यवस्था के साथ हो, जहाँ अग्निशामक वाहन आसानी से पहुँच सके। ओवर हेड वाटर स्टैटिक टैंक (10,000 लीटर क्षमता से कम नहीं) अधिवास के पूर्व हो जाना चाहिए।

(ङ) भवन के प्रत्येक मंजिल पर विद्युत केबुल सील होनी चाहिए।

(च) भवन का कम्पार्टमेन्टेशन इस प्रकार होगा कि आग एवं धुँआ उसी क्षेत्र में सीमित रहेगा जहाँ अग्निकांड हुआ है तथा भवन के अन्य भागों में नहीं फैले।

(छ) भवन के अलगाव दीवार एवं फ्लोर में खुला स्थान - ऐसे सभी प्रकार के तथ्यों पर ध्यान देना होगा जो आग एवं धुँआ के फैलाव को इन खुला स्थानों में प्रवेश को सीमित कर सके और बनावट का फायर रेटिंग बरकरार रह सके। सभी दीवार में खुला स्थान न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग के अग्नि निरोधक दरवाजा से सुरक्षित रहेगा। मंजिलों में सभी खुला स्थान vertical enclosure से सुरक्षित रहेगा एवं ऐसे enclosure का दीवार न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग का होगा।

(ज) मंजिलों के प्रत्येक vertical openings यथोचित रूप से बंद एवं सुरक्षित रहेगा तथा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जाएगी :-

(i) पलायन के रास्ता का प्रयोग करते वक्त अधिवासियों को मंजिल दर मंजिल खुले स्थान से आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिवासियों के निकासी मार्ग में कम से कम 21 मिली मीटर का उपरी भाग खुला हो।

(ii) दो घंटे की फायर रेटिंग का अग्नि दरवाजा बाहर भागने/निकलने के रास्ते एवं लिफ्ट में प्रवेश के रास्ते तथा सीढ़ी पर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए दिया जाएगा।

(iii) निकासी मार्ग का सुरक्षित प्रयोग हेतु स्मोक वेन्टिंग सुविधा प्रदान किया जाएगा।

(iv) आंतरिक सजावट से जहरीला धुँआ के उत्पन्न होने से बचाने हेतु धुँआ निरोधी सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा।

(v) भवन के निकासी मार्ग (सीढ़ी एवं कोरिडोर) का रौशनीकरण/सीढ़ियों का प्रेसराइजेशन/ तलघर का वेन्टीलेशन राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार करना होगा।

(vi) एयर कंडिशनिंग एवं वेंटिलेशन सिस्टम को इस प्रकार अधिष्ठापित किया जाएगा, जिससे आग एवं धुँआ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर और भवन से बाहर नहीं फैल सके। एयर फिल्टर में आग लगने पर धुँआ को फैलने से बचाने के लिए स्मोक सेन्सिटिव डिवाइस भवन में होना चाहिए। प्रत्येक तल पर आग और धुँआ के हजार्ड से बचाने के लिए प्रत्येक तल पर अलग-अलग एयर हैडलिंग यूनिट होना चाहिए। फायर डंपर्स को

ए0सी0 सिस्टम में प्रदान किया जाएगा, ताकि आग की स्थिति में स्वचालित रूप से बंद हो सके और इस तरह अग्नि/धुँआ का फैलाव रोका जा सके।

(vii) विद्युत अधिष्ठापन- विद्युत सुरक्षा भारतीय विद्युत नियमावली एवं संबंधित आई0एस0/संहिता के प्रावधान के आलोक में होगा। लाईसेंस विद्युत ठेकेदार के द्वारा विद्युत अधिष्ठापन किया जाएगा। मुख्य रूप से अलग नली में वायरिंग, अलग सर्किट, स्वचालित सर्किट ब्रेकर, मास्टर स्वीच, इंस्पेक्शन पैनल दरवाजा, आपातकालीन/वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति का आवधिक सत्यापन आदि पर ध्यान दिया जाएगा।

(viii) भवन का अधिवास प्राप्त करने के बाद प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार नियमित रूप से फायर एक्जीट ड्रिल किया जाना चाहिए।

(ix) अग्नि सुरक्षा अधिकारी- एन0बी0सी0 2016 और बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के अनुसार।

(x) भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों आदि का ए0एम0सी0 योग्य फर्म या व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।

(xi) स्थापित नियम के आलोक में भवन के सेट बैक का चेकिंग वास्तुविद/पारित करने वाले द्वारा किया जाएगा।

(xii) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिशों का पालन नहीं करने की स्थिति में भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी विवाद के मामले में, जिम्मेवारी डेवलपर्स/वास्तुविद/जमीन मालिक पर होगी एवं किसी भी सरकारी प्राधिकार (जैसे कि राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना) की नहीं होगी।

(xiii) इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय (अर्थात राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी) का कार्यालय उस भूमि के किसी भी कानूनी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं है, जिसपर प्रस्तावित भवन का निर्माण होगा।

(7) अनिवार्यतः अन्डरटेकिंग्स के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।

(8) इसे औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र माना जाएगा। उपरोक्त सभी अग्नि एवं जीवन सुरक्षा अनुशंसाओं के अनुपालन के बाद आवश्यक निरीक्षण एवं अधिष्ठापन के जाँच हेतु राज्य अग्निशमन कार्यालय को सूचित करना होगा। सभी बिन्दुओं की जाँच से संतुष्टि के बाद अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

(9) अनुमोदित भवन योजना में बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार का विचलन या परिवर्तन किये जाने की स्थिति में इस औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

(10) हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ नक्शा वापस किया जाता है/ऑनलाईन निर्गत किया जाता है।

अनुलग्नक

- 1) मे0 अभियंता सत्येन्द्र प्र0 सिंह
- 2) अध्यक्ष नगर निगम, पटना

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक,
बिहार, पटना।

INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT				Assessment Year 2020-21	
[Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-6, ITR-7 filed and verified] (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)					
PAN	AJLPS7608G				
Name	RAJIV SHARAN				
Address	,,, GOKHUL PATHSASTRI NAGAR, PATNA, BIHAR, 800023				
Status	Individual	Form Number	ITR-3		
Filed u/s	139(1)-On or before due date	e-Filing Acknowledgement Number	139509771080121		
Taxable Income and Tax details	Current Year business loss, if any	1	0		
	Total Income		1283630		
	Book Profit under MAT, where applicable	2	0		
	Adjusted Total Income under AMT, where applicable	3	1283630		
	Net tax payable	4	205493		
	Interest and Fee Payable	5	15486		
	Total tax, interest and Fee payable	6	220979		
	Taxes Paid	7	227153		
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (6-7)	8	-6170		
Dividend Distribution Tax details	Dividend Tax Payable	9	0		
	Interest Payable	10	0		
	Total Dividend tax and interest payable	11	0		
	Taxes Paid	12	0		
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (11-12)	13	0		
Accreted Income & Tax Detail	Accreted Income as per section 115TD	14	0		
	Additional Tax payable u/s 115TD	15	0		
	Interest payable u/s 115TE	16	0		
	Additional Tax and interest payable	17	0		
	Tax and interest paid	18	0		
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (17-18)	19	0		
Income Tax Return submitted electronically on <u>08-01-2021 17:59:47</u> from IP address <u>223.230.171.147</u> and verified by <u>RAJIV SHARAN</u>					
having PAN <u>AJLPS7608G</u> on <u>08-01-2021 17:59:47</u> from IP address <u>223.230.171.147</u> using					
Digital Signature Certificate (DSC).					
DSC details: <u>22865612708193CN=Verasys CA</u>					
<u>2014.2.5.4.51=#13294f6666696365204e6f2e2032312c20326e6420466e6f6f722c20426861766e61204275696e64696e67,STREET=V.S.</u>					
DO NOT SEND THIS ACKNOWLEDGEMENT TO CPC, BENGALURU					

INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT

[Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6, ITR-7 filed and verified electronically]

Assessment Year
2019-20

PERSONAL INFORMATION AND THE ACKNOWLEDGEMENT NUMBER	Name			PAN		
	RAJIV SHARAN			AJLPS7608G		
	Flat/Door/Block No	Name Of Premises/Building/Village		Form Number.	ITR-3	
	SHARANAM					
	Road/Street/Post Office	Area/Locality				
		PATEL NAGAR		Status Individual		
	Town/City/District	State	Pin/ZipCode	Filed u/s		
	PATNA	BIHAR	800023	139(1)-On or before due date		
	Assessing Officer Details (Ward/Circle)			ITO WARD 5(1), PATNA		
	e-filing Acknowledgement Number			823293611180819		
COMPUTATION OF INCOME AND TAX THEREON	1	Gross total income			1	1165871
	2	Total Deductions under Chapter-VI-A			2	155756
	3	Total Income			3	1010120
	3a	Deemed Total Income under AMT/MAT			3a	1010120
	3b	Current Year loss, if any			3b	11936
	4	Net tax payable			4	120157
	5	Interest and Fee Payable			5	11505
	6	Total tax, interest and Fee payable			6	131662
	7	Taxes Paid	a	Advance Tax	7a	0
			b	TDS	7b	5565
			c	TCS	7c	0
			d	Self Assessment Tax	7d	127242
			e	Total Taxes Paid (7a+7b+7c +7d)	7e	132807
	8	Tax Payable (6-7e)			8	0
9	Refund (7e-6)			9	1150	
10	Exempt Income	Agriculture	0	10	23074	
		Others	23074			

Income Tax Return submitted electronically on 18-08-2019 13:44:48 from IP address 223.187.136.171 and verified by

RAJIV SHARAN having PAN AJLPS7608G on 18-08-2019 13:44:48 from IP address

223.187.136.171 using Digital Signature Certificate (DSC)

DSC details: 22865612708193CN=Verasys CA
2014.2.5.4.51=#13294f6666696365204e6f2e2032312c20326e6420466c6f6f722c20426861766e61204275696e64696e67,STREET=V.S.

DO NOT SEND THIS ACKNOWLEDGEMENT TO CPC, BENGALURU

INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT

[Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6, ITR-7 transmitted electronically with digital signature]

Assessment Year
2018-19

PERSONAL INFORMATION AND THE DATE OF ELECTRONIC TRANSMISSION	Name			PAN		
	RAJIV SHARAN			AJLPS7608G		
	Flat/Door/Block No	Name Of Premises/Building/Village		Form No. which has been electronically transmitted	ITR-3	
	SHARANAM					
	Road/Street/Post Office	Area/Locality		Status	Individual	
		PATEL NAGAR				
	Town/City/District	State	Pin/ZipCode	Aadhaar Number/Enrollment ID		
	PATNA	BIHAR	800023	XXXX XXXX 0864		
	Designation of AO(Ward/Circle)			Original or Revised		
	ITO WD-5(1),PATNA			ORIGINAL		
E-filing Acknowledgement Number			Date(DD/MM/YYYY)			
806026711180718			18-07-2018			
COMPUTATION OF INCOME AND TAX THEREON	1	Gross total income			1	1009267
	2	Deductions under Chapter-VI-A			2	154172
	3	Total Income			3	855100
	3a	Current Year loss, if any			3a	0
	4	Net tax payable			4	86026
	5	Interest and Fee Payable			5	7280
	6	Total tax, interest and Fee payable			6	93306
	7	Taxes Paid	a	Advance Tax	7a	0
			b	TDS	7b	5518
			c	TCS	7c	0
			d	Self Assessment Tax	7d	87790
			e	Total Taxes Paid (7a+7b+7c +7d)	7e	93308
8	Tax Payable (6-7e)			8	0	
9	Refund (7e-6)			9	0	
10	Exempt Income	Agriculture		10		
		Others				

This return has been digitally signed by RAJIV SHARAN

in the capacity of INDIVIDUAL

having PAN AJLPS7608G from IP Address 160.20.5.75 on 18-07-2018 at PATNA

Dsc SI No & issuer 2280321716557352819CN=SafeScript sub-CA for RCAl Class 2 2014,OU=Sub-CA,O=Sify Technologies Limited,C=IN

DO NOT SEND THIS ACKNOWLEDGEMENT TO CPC, BENGALURU